UPGK160051952022

<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (रेलवे) गोरखपुर</u>

प्रकीर्ण वाद संख्या- 48/2022

वादी रणधीर सिंह----------------बनाम-----------------------अज्ञात

मुकदमा अपराध संख्या- 80/2022

धारा- 379 भा०दं०सं०

थाना- जी०आर०पी० गोरखपुर

<u>दिनांक- 11.03.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर वादी अनुपस्थित है। वादी को उपस्थित होने के लिए नोटिस प्रेषित की गई परंतु कोई पता नहीं चल पा रहा है। पत्रावली में संबंधित थाना द्वारा अंतिम रिपोर्ट की जा चुकी है। मामला प्राचीन है।

अवलोकन से विदित होता है विवेचक द्वारा बाद विवेचना इस आधार पर अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई है कि अब की गई तमामी तफ्तीश बयान वादी बयान घटनास्थल का निरीक्षण पतारसी सुरागरसी से माल मुल्जिम का कुछ पता नहीं चल सका और मामला काफी पुराना हो गया है, अतः जरिये अंतिम रिपोर्ट विवेचना समाप्त किया जाता है।

अवलोकन से विदित होता है कि विवेचक द्वारा की गयी विवेचना में कोई त्रुटि नहीं है। वादी मुकदमा को कई नोटिस प्रेषित किए जा चुके हैं। मामला प्राचीन है। निकट भविष्य में वादी के उपस्थित होने की कोई संभावना प्रकट नहीं होती है। अतः अंतिम आख्या स्वीकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अ०सं० 80/2022 अंतर्गत धारा 379 भा०दं०सं० थाना जी०आर०पी० गोरखपुर के अभियोग से प्रेषित अंतिम आख्या सं० बी-49/2022 दिनांकित 12.11.2022 स्वीकार किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (रेलवे)
गोरखपुर